राज्यों में कोई भी निवेश न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में यदि कोई निवेश किया गया है तो उसकी राज्य-वार मात्रा कितनी-कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) जी हां चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जुटाये गये संसाधनों को इक्विटी, ऋण पत्रों, ऋणों, कम्पनियों की जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार निवेशों जैसी विभिन्न योजनाओं में निवेश किया जाता है, इसलिए किसी राज्य विशेष के सन्दर्भ में निवेश का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु नियम

161. **चौधरी हरमोहन सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन नियमों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अन्तर्गत उन नियमों और विनियमों को अधिसूचित करना अपेक्षित है जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कार्यान्वित किए जाते हैं, अर्थात जिनका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमन करने के लिए है। अभी तक, स्टाक दलालों और उप-दलालों और इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधी नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों और विनियमों की मंशा छोटे और बड़े दोनों प्रकार के निवेशकों के हितों की रक्षा करना भी है। इन विनियमों में स्टाक दलालों के लिए जो आचार-संहिता निर्धारित की गई है, उसमें छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने का विशेष प्रावधान है। इस आचार-संहिता के अन्तर्गत, स्टाक दलालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे छोटे निवेशकों के साथ केवल कारोबार की मात्रा के आधार पर लेन-देन करने से मना न करें।

(ख) सरकार को अभी तक सेबी, अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन न करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश को दी गयी वित्तीय सहायता

162. **चौधरी हरमोहन सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

(लाख रु०)

दी गई सहायता का स्वरूप	वर्ष-वार राशि		
	1989-90	1990-91	1991-92
1. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	3156.37	3800.00	5500.00
2. भूमि विकास बैंक ऋणपत्र	75.00	—	30.00
3. राज्य वित्त निगम के बाण्ड और शेयर	—	200.00	100.00

दी गई सहायता का स्वरूप	वर्ष-वार राशि		
	1989-90	1990-91	1991-92
निम्नलिखित को ऋण:			
4. सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को	1056.00	1034.00	1101.00
5. शीर्ष सहकारी आवास, वित्त समितियां, आवास बोर्ड एवं अन्य प्राधिकरण	600.00	600.00	750.00
6. राज्य बिजली बोर्ड	6796.00	8130.00	—
7. राज्य सड़क परिवहन निगम	707.00	707.00	777.00
निगमित क्षेत्र			
8. शेयर, ऋणपत्र और कम्पनियों (सार्वजनिक,सहकारी और निजी क्षेत्र को ऋण)	1995.98	1419.83	4091.78
कुल:	14386.35	15890.83	12349.78

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के संबंध में योजना

163. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने व्यापक पैमाने पर ग्रामीण उद्योग शुरू करने में ग्रामीण लोगों की सहायता करने के लिए एक परियोजना तैयार की है जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त बैंक की निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) चूंकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एक अखिल भारतीय संस्थान है, इसकी योजनाओं को किसी राज्य विशेष के संदर्भ में तैयार नहीं किया जाता है। बहरहाल, पुनर्वित्त की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सिडबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से सम्पूर्ण देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों ने भी सिडबी की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता का महत्वपूर्ण भार प्राप्त किया है और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन में भी सहायता की है।

विभिन्न राज्य स्तरीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के अलावा, सिडबी, विभिन्न राज्यों में विकास संबंधी कार्य-कलापों को भी करता है। गत दो वर्षों के दौरान, सिडबी ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद और गोरखपुर जैसे पारम्परिक केन्द्रों में चुने हुए औद्योगिक समूहों की प्रोद्योगिकी अभिवृद्धि, लघु उद्योग एककों के लिए कारबार सहायकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम, विद्यमान उद्यमियों के प्रशिक्षण और ग्रामीण चमड़ा उद्योग परियोजनाओं की अभिवृद्धि के कुछ विकास संबंधी क्रियाकलापों को हाथ में लिया है।

(ग) सिडबी अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में एककों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा।

Repayment of Foreign Loan

164. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total amount required for repayment of principal and payment of interest on old loans taken by the country; and

(b) whether total receipt of fresh loans are sufficient to meet the repayment responsibilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The repayment of principal and payment of interest during 1992-93 on the outstanding foreign loans are estimated to be Rs. 9946 crores and Rs. 7763 crores respectively.